**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2080**

**07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए**

**इस्पात उत्पादन से प्रदूषण कम करने के लिए स्क्रैप इस्पात का उपयोग**

**2080. श्रीमती वंदना चव्हाण:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार प्राथमिक कच्चे माल के रूप में स्क्रैप इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठा रही है क्योंकि इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति के अनुसार प्रत्येक टन स्क्रैप इस्पात से ऊर्जा की खपत में 16 प्रतिशत से 17 प्रतिशत की कमी आती है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा (i) स्क्रैप इस्पात की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने, (ii) स्क्रैप इस्पात की ग्रेडिंग और छंटाई और (iii) स्क्रैप इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार निर्माण उद्योग की प्रमुख कंपनियों द्वारा स्क्रैप इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (घ): इस्पात मंत्रालय की इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों और विभिन्न उत्पादों से सृजित फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण हेतु भारत में धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इस नीति में संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीकों से संग्रहण, विघटन एवं श्रेडिंग गतिविधियों हेतु मानक दिशा-निर्देशों का प्रावधान किया गया है, ताकि इस्पात उद्योग के लिए गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

****